

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 550/2024

अनवान : -

1. हनुमान पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. जयलाल पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सीलोचना पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. मेना देवी पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
6. मन्जु पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादीगण
श्री रविकान्त स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 25/7/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स० 81/80 की कुल 7.8690 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स० 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादीगण के दादा के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद प्रतिवादी स० 1 व 3 के नाम दर्ज हुई।^१ प्रतिवादी संख्या 1 व 3 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अकेलो के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स० 4 ता 6 जो की वादी स० 2 की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादी स० 2 व प्रतिवादी स० 2 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स० 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 6 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद

अ उपखण्ड अधिकारी
नोहर



को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादीगण ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादीगण के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 4 ता 6 का प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी स0 2 व प्रतिवादी स0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 81/80 की कुल 7.8690 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 व 3 प्रत्येक के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 81/80 की कुल 7.8690 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी खाता में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में 2.024 हैक्ट भूमि का

वादी को एवं 0.599 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक २५/७/२०२४ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 550/2024

अनवान : -

1. हनुमान पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. मांगीलाल पुत्र धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
2. जयलाल पुत्र राजेन्द्र जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
3. धर्मपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
4. सीलोचना पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
5. मेना देवी पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
6. मन्जु पुत्री धर्मपाल जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 550 सन 2024 निर्णय दिनांक 25/7/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 2 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 81/80 की कुल 7.8690 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी स0 1 व प्रतिवादी स0 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी खाता में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में 2.024 हैक्ट भूमि का वादी को एवं 0.599 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/7/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर